



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
भारत में प्रतिपूरक वनरोपण
पर प्रतिवेदन



संघ सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
2013 की संख्या 21
(अनुपालन लेखापरीक्षा)



	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
	विषयसूची	iii
	प्राक्कथन	vii
	कार्यकारी सार	ix
अध्याय I	भारत में प्रतिपूरक वनरोपण के बारे में	1-16
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	गैर वन प्रयोजन हेतु वन भूमि का विपथन	2
1.3	वन भूमि के विपथन के बदले प्रतिपूरक वनरोपण	3
1.4	उच्चतम न्यायालय की भूमिका	4
1.5	प्रतिपूरक वनरोपण निधि तथा कैम्पा का सृजन	5
1.6	प्रतिपूरक वनरोपण निधि विधेयक	6
1.7	तदर्थ कैम्पा का गठन	7
1.8	तदर्थ कैम्पा का गठन तथा कार्यचालन	9
1.9	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कैम्पा का गठन	9
1.10	तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का संग्रहण	10
1.11	तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का निर्गम	11
1.12	तदर्थ कैम्पा तथा राज्य कैम्पा के लेखाकरण प्रबन्ध	12
1.13	लेखापरीक्षा उद्देश्य	12
1.14	लेखापरीक्षा क्षेत्र	13
1.15	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न की गई सूचना/अभिलेख	13
1.16	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना और उत्तरो की प्राप्ति	15
1.17	लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संघटन	16
अध्याय II	वनभूमि का विपथन तथा प्रतिपूरक वनरोपण	17-65
2.1	प्रस्तावना	17
2.2	वनभूमि के विपथन में नियामक कमियां	21
2.3	प्रतिपूरक वनरोपण को बढ़ावा देने में विफलता	42
2.4	खनन पट्टे देने/नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	48
2.5	पर्यावरण मामले	55
2.6	भूमि प्रबन्धन के अन्य मामले	60
2.7	दण्ड खण्ड का अपर्याप्त तथा अप्रभावी उपयोग	63
2.8	निष्कर्ष	63
अध्याय III	प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का संग्रहण	67-89
3.1	प्रस्तावना	67
3.2	राज्य सरकारों द्वारा तदर्थ कैम्पा को निधियों का अन्तरण	68
3.3	प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के संघटकों का निर्धारण तथा संग्रहण	79
3.4	निष्कर्ष	89
अध्याय IV	प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का उपयोग	91-116
4.1	पृष्ठभूमि	91
4.2	प्राप्त निधियों का कम उपयोग	94
4.3	राज्य कैम्पाओं के पास निधियों का संचय	97

	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
4.4	अनुमोदन बिना निधियों का निर्गम/विलम्बित एपीओ	99
4.5	तदर्थ कैम्पा तथा राज्य/यूटी अभिलेखों के अनुसार निर्गमों में अशोधित विसंगतियां	101
4.6	निधियों का संघटवार निर्गम	102
4.7	राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों तथा राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद द्वारा प्राधिकृत न किया गया व्यय	105
4.8	राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदीकेन्द्र द्वारा कैम्पा रोपण की निगरानी	107
4.9	व्यय मनरेगा के अनुसार नहीं	109
4.10	निगरानी तथा मूल्यांकन	110
4.11	निष्कर्ष	115
अध्याय V	संचित प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का निवेश	117-141
5.1	प्रस्तावना	117
5.2	निधियों के निवेश के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन	117
5.3	निवेश नीति बनाना	118
5.4	निवेश के लिए उपलब्ध निधियों का तदर्थ निर्धारण	123
5.5	निष्क्रिय निधियों	123
5.6	निवेशों तथा निधियों की निगरानी तथा सुरक्षा में कमियां	124
5.7	बोलियां आमंत्रण की विधि में कमियां	127
5.8	बोलियों के मूल्यांकन की प्रकिया	130
5.9	जम्मू कश्मीर राज्य कैम्पा	138
5.10	अन्य राज्य/यूटी कैम्पा	140
5.11	निष्कर्ष	140
अध्याय VI	निरीक्षण प्रबन्ध	143-154
6.1	प्रस्तावना	143
6.2	प्राधिकरण का सतत अनन्तिम स्वरूप	143
6.3	व्यय का प्राधिकरण	144
6.4	लेखाकरण	144
6.5	लेखापरीक्षा	150
6.6	जवाबदेही तथा पारदर्शिता	153
अध्याय VII	राज्य/संघराज्य क्षेत्र विशेष निष्कर्ष	155-351
	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	155
	आंध्रप्रदेश	161
	अरुणाचल प्रदेश	168
	असम	175
	बिहार	181
	चण्डीगढ़	187
	छत्तीसगढ़	192
	दिल्ली	199
	गोवा	204

	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
	गुजरात	210
	हरियाणा	216
	हिमाचल प्रदेश	221
	जम्मू तथा कश्मीर	229
	झारखण्ड	239
	कर्नाटक	247
	केरल	254
	मध्यप्रदेश	259
	महाराष्ट्र	264
	मणिपुर	270
	मेघालय	276
	मिजोरम	281
	ओडिशा	285
	पंजाब	293
	राजस्थान	299
	सिक्किम	305
	तमिलनाडू	312
	त्रिपुरा	319
	उत्तरप्रदेश	324
	उत्तराखण्ड	333
	पश्चिम बंगाल	344
अनुबन्ध		
अनुबन्ध-1	राज्य कैम्पा की अधिसूचना	355
अनुबन्ध-2	लेखापरीक्षा क्षेत्र	356
अनुबन्ध-3	राज्य वन विभाग के पक्ष में प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा पहचानी गई गैर वन भूमि का हस्तान्तरण तथा परिवर्तन न करना	359
अनुबन्ध-4	गैरवन भूमि आरक्षित वन/सुरक्षित वन की घोषणा एवं अधिसूचना न करना	360
अनुबन्ध-5	आर एफ/पी एफ के रूप में गैर हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और गैर घोषित	363
अनुबन्ध-6	पांच वर्षों की समाप्ति के बाद सैद्धान्तिक अनुमोदन रदद न करना	364
अनुबन्ध-7	बेल्लारी खनन मामलों से संबंधित फाईलों को लेखापरीक्षा को न देना	365
अनुबन्ध-8	गेवा खनन मामलों से संबंधित फाईलों को लेखापरीक्षा को न देना	368
अनुबन्ध-9	अन्तरलेखा अन्तरण के मामले	369
अनुबन्ध-10	दिसम्बर 2012 तक लेखों के तैयार होने की स्थिति	373

